संख्या-405/चौवालिस-2-1992

प्रेषक,

श्री चन्द्र भूषण पालीवाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के समस्त
अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

लखनऊ : दिनांक । मई, 1992

विषय :- उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के सेवकों पर लागू सेवा नियमावली में ज्येष्ठता का प्राविधान।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के सेवकों के लिये मार्ग दर्शन हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा आदर्श सेवा नियमावली का प्रारूप इस उद्देश्य से प्रसारित किया गया था कि यथासम्भव तद्नुरूप सेवा नियमावलियों की संरचना की जाय।

2-इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि सेवा नियमावलियों के उक्त प्रारूप के पृष्ठ-29 पर नियम-25 में ज्येष्ठता के सम्बन्ध में जो प्राविधान किया गया है उसके नोट (1), (2) व (3) के स्थान पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा अनुलग्नक के अनुसार नोट-1,2,3 तथा 4 प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3-अतः अनुरोध है कि यदि आपके निगम/उपक्रम में सेवा नियमावली प्रख्यापित हो चुकी है तो अनुलग्नक के अनुसार संशोधित करने एवं यदि प्रख्यापित नहीं हुई है तो ज्येष्ठता सम्बन्धी प्राविधान को अनुलग्नक के अनुसार प्रतिस्थापित करने पर विचार कर लें।

भवदीय,
चन्द्र भूषण पालीवाल,
विशेष सचिव।

संख्या-405 (1)/44-2-1992, तद्दिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के समस्त प्रशासकीय विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।
(2) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1।

आज्ञा से,
मन्द्रालय जोशी
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या 405/चौवालिस-2-1992, दिनांक 1 मई, 1992 का अनुलग्नक

नोट-1 जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हो वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखायी गई है :

प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधि मान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों से कनिष्ठ रहेंगे।

स्पष्टीकरण :- जब एक ही वर्ष में नियमित और आपात भर्ती के लिए पृथक-पृथक चयन किये जायें तो नियमित भर्ती के लिए किया गया चयन, पूर्ववर्ती चयन माना जायेगा।

नोट-2 जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी।

स्पष्टीकरण :- पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति, भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पश्चात् दी गई हो, उस संवर्ग में जिसमें उसकी पदोन्नति की जाय अपनी वही ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी।

नोट-3 जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां एक से अधिक पोषक संवर्गों से केवल पदोन्नति द्वारा की जानी हों वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता उनके अपने-अपने पोषक संवर्ग में उनकी नियमित नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित की जायेगी।

स्पष्टीकरण :- जहां पोषक संवर्ग में नियमित नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति नियमित रूप से नियुक्त किया जाय तो वह दिनांक नियमित नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां पोषक संवर्ग के वेतनमान भिन्न हों, तो उच्चतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्ति निम्नतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे।

नोट-4 जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां, पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हों वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी नियमित नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उपनियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्ति किये जाये तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति नियमित रूप से नियुक्त किया जाये, तो वह दिनांक नियमित नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा और अन्य मामलों ,में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्त प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप-

(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येठता वही होगी, जैसी चयन समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता-सूची में दिखाई गई हो :

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती है, यथास्थिति, नोट-2 या नोट-3 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय।

(3) जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जायं वहां पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के संबंध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार, चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जाएगी।

दृष्टान्त : (।) जहां पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों का कोटा (। : ।) के अनुपात में हो वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित में होगी -

प्रथम	...	पदोन्नत व्यक्ति
द्वितीय	...	सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति

(2) जहां कोटा ।:3 के अनुपात में हो वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित में होगी।

प्रथम	...	पदोन्नत व्यक्ति
द्वितीय से चतुर्थ तक	...	सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति
पांचवां	...	पदोन्नत व्यक्ति
छठां से आठवां	...	सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी :

प्रतिबन्ध यह है कि-

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जाएं, वहां कोटा से अधिक नियुक्ति व्यक्तियों की ज्येष्ठता के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया जायेगा जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों।

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गई रिक्तियों के प्रति नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में की जायं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेंगे किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियां की जाएं किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

(तीन) जहां सेवा नियमावली के अनुसार, सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी स्रोत से बिना भरी गई रिक्तियां अन्य स्रोत से भरी जाएं और कोटा से अधिक नियुक्तियां की जायं वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे मानो वे अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किए गए हों।

Annexure to G.O. No. 405/44-2-1992

Lucknow, May 01, 1992

Note-1 Where according to the service rules appointments are to be made only by the Direct recruitment the seniority **inter se** of the persons appointed on the result of any one selection, shall be the same as it is shown in the merit list prepared by the selection committee :

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority, if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him, the decision of the appointing authority as to the validity of reasons, shall be final:

Provided further that the persons appointed on the result of subsequent selection, shall be junior to the persons appointed on the result of a previous selection.

Explanation--Where in the same year separate selections for regular and emergency recruitment, are made, the selection for regular recruitment shall be deemed to be the previous selection.

Note-2 Where according to the service rules, appointments are to be made only by promotion from a single feeding cadre, the seniority **inter-se** of persons so appointed shall be the same as it was in the feeding cadre.

Explanation- A person senior in the feeding cadre shall, even though promoted after the promotion of a person junior to him, in the feeding cadre shall, in the cadre to which they are promoted, regain the seniority as it was in the feeding cadre.

Note-3 Where according to the service rules, appointments are to be made only by promotion but from more than one feeding cadres,

the seniority **inter se** of persons appointed on the result of any one selection shall be determined according to the date of the order of their regular appointment in their respective feeding cadres.

Explanation-Where the order of the regular appointment in the feeding cadre specifies a particular back date with effect from which a person is regularly appointed, that date will be deemed to be the date of order of appointment and, in other cases it will meant the date of issuance of the order :

Provided that where the pay scales of the feeding cadres are different, the persons promoted from the feeding cadre having higher pay scale shall be senior to the person promoted from the feeding cadre having lower pay scale :

Provided further that the persons appointed on the result of a subsequent selection shall be junior to the persons appointed on the result of a previous selection.

Note-4 (1) Where according to the service rules appointments are made both by promotion and by direct recruitment, the seniority of persons appointed shall, subject to the provisions of the following sub-rules, be determined from the date of the order of their regular appointments, and if two or more persons are appointed together, in the order in which their names are arranged in the appointment order :

Provided that if the appointment order specifies a particular back date, with effect from which a person is regularly appointed, that date will be deemed to be the date of issuance of the order :

Provided further that a candidate recruited directly may lose his seniority, if he fails to join without valid reasons, when vacancy is offered to him the decision of the appointing authority as to the validity of reasons, shall be final.

(2) The seniority **inter se** of persons appointed on the result of any one selection,-

(a) through direct recuritment, shall be the same as it is shown in the merit list prepared by the selection committee,

(b) by promotion, shall be as determined in accordance with the principles laid down in Note-2 or Note-3 as the case may be, accordingly as the promotion are to be made from a single feeding cadre or several feeding cadres.

(3) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment on the result of any one selection the seniority of promotees vis-a-vis direct recruits shall be determined in a cyclic order (the first being a promotee) so far as may be, in accordance with the quota prescribed for the two sources.

Illustrations-(1) Where the quota of promotees, and direct recruits is in the proportion of (1:1) the seniority shall be in the following order-

First	... ...	Promotee
Second	... ...	Direct recruit

and so on.

(2) where the said quota is in the proportion of 1:3 the seniority shall be in the following order-

First	...	Promotee
Second to fourth	...	Direct recruits
Fifth	...	Promotee
Sixth to eight	...	Direct recruits

and so on :

Provided that-

(i) Where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, for seniority, to subsequent year or years in which there are vacancies in accordance with the quota;

(ii) Where appointments from any source fall short of the prescribed quota and appointment against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so however, that their names shall be placed at the top followed by the names, in the cyclic order of the other appointees;

(iii) Where, in accordance with the service rules the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant service rules be filled from the other source and appointment in excess of quota are so made, the persons so appointed shall get the seniority of that very year as if they are appointed against the vacancies of their quota.